बिल का सारांश

कारखाना (तमिलनाडु संशोधन) बिल, 2023

- कारखाना (तमिलनाडु संशोधन) बिल, 2023 को तमिलनाडु विधानसभा में 12 अप्रैल, 2023 को पेश किया गया। यह कारखाना एक्ट, 1948 (केंद्रीय कानून) को तमिलनाडु में लागू करने के लिए उसमें संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट कारखाना मजदूरों के काम करने की स्थितियों को रेगुलेट करता है जिसमें काम के घंटे, उनका कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल है।
- **काम के घंटों के रेगुलेशन से छूट**: एक्ट वयस्क कारखाना मजदूरों (18 वर्ष से अधिक) के काम की स्थितियों को निर्दिष्ट करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) काम करने के साप्ताहिक घंटे 48 से अधिक नहीं होंगे, (ii) रोजाना काम के घंटे नौ से अधिक नहीं होंगे, (iii) प्रत्येक पांच घंटे की कार्य अवधि के बाद श्रमिकों को कम से कम आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, (iv) साप्ताहिक घंटे और दैनिक घंटे की सीमा से अधिक काम करने वाले कर्मचारी ओवरटाइम के हकदार हैं (सामान्य दर से दोगुना वेतन), और (v) हर दिन काम के घंटों का विस्तार (विराम सहित) 10.5 घंटे से अधिक नहीं होगा। बिल राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा उल्लिखित प्रावधानों से किसी एक या सभी कारखानों को छूट देने का अधिकार देता है। सरकार ऐसी अधिसूचनाओं में कुछ शर्तों एवं प्रतिबंधों और आवेदन की अवधि को निर्दिष्ट कर सकती है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

ओमिर कुमार
omir@prsindia.org

8 मई, 2023